न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 125 / 2022

1 नेतराम पुत्र किशना उम्र 68 साल
2 भूपसिंह पुत्र किशना उम्र 66 साल (दौराने अपील मृतक)
2/1 विमला पत्नी स्व. भुपसिंह जाति जाट निवासी ढ़हरवाला ग्राम सजय नगर तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल नीमकाथाना।
2/2 संदीप कुमार पुत्र स्व. भुपसिंह जाति जाट निवासी ढ़हरवाला ग्राम संजय नगर तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल नीमकाथाना।
2/3 धर्मवीर पुत्र स्व. भूपसिंह जाति जाट निवासी ढ़हरवाला ग्राम संजय नगर तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल नीमकाथाना।
2/4 उर्मिला पुत्री स्व. भुपसिंह जाति जाट निवासी ढ़हरवाला ग्राम संजय नगर तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल नीमकाथाना।
3 ग्यारसी पुत्री किशना पत्नी होशियार सिंह
4 फूला पुत्री किशना पत्नी धुड़ाराम उम्र 64 साल जाति जाट निवासी जयमल का बास तन पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 प्रहलाद पुत्र मांगूराम (मृतक)
1/1 श्रवणी देवी पत्नी स्व. प्रहलाद
1/2 सज्जन पुत्र स्व. प्रहलाद
1/3 बुद्धराम पुत्र स्व. प्रहलाद
1/4 लीलाधर पुत्र स्व. प्रहलाद
जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजय नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
1/5 उर्मिला देवी पुत्री प्रहलाद पत्नी दीपचन्द जाति जाट निवासी गहली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2 जयराम पुत्र मांगूराम
3 हर्षराम पुत्र मांगूराम
4 रघुवीर पुत्र मांगूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजय नगर तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सुरजी पुत्री मांगूराम पत्नी महासिंह जाति जाट निवासी घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
6 तुलसी पुत्री मांगूराम पत्नी नारायण सिंह निवासी कालवा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
7 महावीर प्रसाद पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 नोकराम उर्फ झण्डूराम ओरस पुत्र सांवतराम
9 भोलूराम पुत्र कालू
10 छाजूराम पुत्र मेहरचन्द
11 जानकी देवी पत्नी मेहरचन्द
12 होशियार पुत्र छोटूराम
13 अणची देवी पत्नी गजानन्द
14 जगदीश पुत्र गजानन्द
15 राजेन्द्र पुत्र गजानन्द
16 नरेन्द्र पुत्र गजानन्द
जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तन पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
17 ईमरती पत्नी रामकुमार पुत्री गजानन्द
18 बिमला पत्नी धर्मपाल पुत्री गजानन्द
19 रोशन पत्नी अमीलाल पुत्री गजानन्द
20 कमला पत्नी लीलाराम पुत्री गजानन्द
जाति जाट निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
21 गीता देवी पत्नी रामजीलाल
22 बलबीर पुत्र रामजीलाल
जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तन पपुरना जिला झुन्झुनूं राज.।
23 मुनेश पुत्री रामजीलाल पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना हाल आबाद मस्जिद के पीछे आजाद मार्केट खेतड़ी नगर जिला झुन्झुनूं राज.।
24 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबन्धक
25 एस.बी.आई. बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

26 उप पंजीयक अधिकारी खेतड़ी।
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा उनवानी
नेतराम आदि बनाम प्रहलाद वगै. बमुकदमा नम्बर 262/2012
दावा बाबत घोषणात्मक खातेदारी, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता
विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मकर्रम अंसारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16·1·25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 262/2012 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन बाबत भूमि खाता संख्या 245 के खसरा नम्बर 2372, 2588, 2970, 3733,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

3736, 4095/3735, 4096/3737 व खाता संख्या 246 के खसरा नम्बर 3990/2957 वाके ग्राम संजयनगर व खाता संख्या 148 के खसरा नम्बर 3445, 3446, 3600 वाके ग्राम अजयनगर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार अपीलान्टस वादीगण पर था। इस तनकी के संबंध में अपीलान्टस की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2019 में अपीलान्टस के पिता किशना व श्योचन्द का नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह बखुबी साबित होता है कि तनकी संख्या 1 में दर्ज वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्टस/वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में काश्त की थी तथा किशनाराम की मृत्यु होने के बाद वादीगण/अपीलान्ट की ओर से काश्त की जा रही है। मौके पर आज भी तनकी नम्बर 1 में दर्ज कृषि भूमि पर अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है इस संबंध में प्रतिवादीगण की साक्ष्य में प्रस्तुत गवाह डी.डब्ल्यू–1 हर्षराम व डी.डब्ल्यू–2 रघुवीर की साक्ष्य से ताईद हो रहा है। उक्त गवाहान ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि अजय नगर व संजयनगर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण द्वारा भी काश्त की जा रही है। वादीगण/अपीलान्टस की ओर से अपने वाद में केवल वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नम्बरान के रकबा का खुलासा नहीं करने मात्र से यह साबित नहीं होता है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था क्लीन हैण्ड्स के साथ प्रस्तुत नहीं किया। खसरा गिरदावरी ऐसा दस्तावेज है जिसमें खातेदार के द्वारा कृषि भूमि काश्त की जाती है जिससे प्रमाणित होता है। विचारण न्यायालय उक्त तनकी को तय करने में अपीलान्टस की और से आई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं किया है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श 1 लगायत 5 व गिरदावरी स्लीप प्रदर्श 6 लगायत 8 तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9 व 10 से अपीलान्टस ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपना हक हिस्सा व कब्जा काश्त होना साबित किया है। फिर भी विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी को केवल औपचारिक दस्तावेज मानकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तनकी संख्या 1 को अपीलान्टस/वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में गलती कानूनी की है। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण/अपीलान्टस पर था उक्त तनकी संख्या 2 में दर्ज भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर अपीलान्टस वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है। जबकि उक्त तनकी संख्या 2 के संबंध में वादीगण अपीलान्टस ने अपना हक हिस्सा व कब्जा काश्त होना बखुबी साबित किया है और प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। फिर भी विचारण न्यायालय ने वादीगण की ओर से आई मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन उक्त तनकी संख्या 2 को निर्णित करते समय नहीं किया है। जहां मामला किसी कृषि भूमि के संबंध में घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का है वहां पर न्यायालय को कब्जा काश्त के बिन्दु पर आई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का भी विवेचन करना कानूनन आवश्यक है विचारण न्यायालय ने उक्त तनकी नम्बर 2 को निर्णित करते समय ऐसा नहीं करके गलती कानूनी की है। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण/अपीलान्टस पर था वादीगण/अपीलान्टस का भूमि खाता संख्या 245, 246, 164, 163 ग्राम संजयनगर तथा भूमि खाता संख्या 148, 149, 200, 216 ग्राम अजयनगर पर कब्जा काश्त है तथा वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि में अपना कब्जा काश्त होना बखुबी साबित किया है। इसलिए अपीलान्टस रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिए जो रिलीफ चाही थी वह तनकी नम्बर 3 के जरिये बखुबी साबित की है फिर भी विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 को निर्णित करने में तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण/अपीलान्टस के विरूद्ध तय करने में भारी गलती कानूनी की है। तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया था। इस तनकी के संबंध में वादीगण/अपीलान्टस की ओर से यह मौखिक साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष आई है कि वादीगण अपीलान्टस के पिता किशना ने वादग्रस्त भूमि ग्राम संजय नगर के खाता संख्या 245, 246, 164, 163 व ग्राम अजयनगर के खाता संख्या 148, 149, 200, 216

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

की खातेदारी में नाम दर्ज नहीं है। परन्तु उनके द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमी पूर्व में उनके पिता किशना द्वारा काश्त की जाती रही है तथा उसकी मृत्यु के बाद वादीगण अपीलान्टस के द्वारा बाहमी बंटवारे के आधार पर उक्त कृषि भूमि काश्त की जाती रही है तथा प्रतिवादीगण ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है ओर उनके द्वारा भी भूमि काश्त की जा रही है वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया था गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसी व्यक्ति के हक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि कब्जे काश्त के बिन्दु को देखते हुए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करना चाहिए इस तनकी नम्बर 4 को तय करने में विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 के पिता मांगु उर्फ मांगिया के नाम गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर निर्णित की है। जबकि अपीलान्टस ने उक्त तनकी नम्बर 4 के संबंध में जो मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। उससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण/अपीलान्टस का अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है फिर भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 को अपीलान्टस के विरूद्ध निर्णित करने में भारी गलती कानूनी की है। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णिय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 पर था उक्त तनकी वादीगण अपीलान्टस के विरूद्ध गलत निर्णित की है क्योंकि जब प्रतिवादीगण ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि ग्राम संजय नगर व अंजय नगर में स्थित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है तो प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 किसी भी सूरत में वादीगण/अपीलान्टस को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। बल्कि विचारण न्यायालय को यह फाईडिंग देनी चाहिए थी कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 वादीगण/अपीलान्टस के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे, ऐसा नही करके विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 पर था उक्त तनकी के संबंध में प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि खाता संख्या 149, 163, 164, 200, 216 पर वादीगण भी काश्त करते है। इसलिए वादीगण/अपीलान्टस संख्या 1 लगायत 4 हिस्से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है तथा शेष भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने विभाजन नहीं करके गलती कानूनी की है तथा तनकी संख्या 6 वादीगण/अपीलान्टस के विरूद्ध करने में गलती कानूनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें। अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा दावा एवं प्रतिदावा के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है। विधि अनुसार दोनों के विरूद्ध एक अपील पोषणीय नहीं है। इस बिन्दु पर अपील खारिज की जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से वादीगण विवादित भूमि में स्वयं की खातेदारी साबित करने में सफल नहीं रहे है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व जमाबदियों में कहीं भी वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित नहीं है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमियां संवत 2012 से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादीगण वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा साबित है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में एवं प्रतिदावा डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2020(2) आरबी पेज 819 डीबी, आरआरटी 2020 (1) आरबी पेज 198 डीबी, आरआरटी 2019 (2) आरबी पेज 831 डीबी, आरआरटी 2019(2) आरबी पेज 896 डीबी के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अपील के स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन इसी स्तर खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

द्वारा दावा एवं प्रतिदावा के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है। विधि अनुसार दोनों के विरूद्ध एक अपील पोषणीय नहीं है। इस बिन्दु पर अपील खारिज की जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से वादीगण विवादित भूमि में स्वयं की खातेदारी साबित करने में सफल नहीं रहे है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व जमाबदियों में कहीं भी वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित नहीं है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमियां संवत 2012 से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादीगण वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा साबित है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में एवं प्रतिदावा डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

यहां यह भी विचारणीय है कि दौराने अपील अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। अपील के स्तर पर अपीलांट को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलांट विचारण न्यायालय में वादी रहे है। उनको विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। फलतः आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर